University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव
100 Years 1920 - 2020

(नैक द्वारा A++ प्रत्यायित)
कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P.)INDIA

संख्या GA-15151-52
दिनांक 21/7/23

सेवा में,

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सहयुक्त महाविद्यालय
2. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा, योजना
   लखनऊ विश्वविद्यालय
   लखनऊ।

विषयः वर्ष 2023–24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या 1915/सत्तर–3–2023–08(14)/2018 दिनांक 17 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने पत्र संख्या– 1822/तीस–3–2023 दिनांक 03.07.2023 में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमो के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु दिये गये व्यापक निर्देश सुनिश्चित किया जाना है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त शासन द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या कार्यालय को दिनांक 01.08.2023 तक प्रत्येक दशा में एन0एस0एस0 को–आर्डिनेटर की ई–मेल [illegible]sslkouni[illegible]@gmail.com पर [illegible] कराने का कष्ट करें, जिसके कि शासन को ससमय सूचना से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या–.......................... दिनांक–..........................

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. निजी सचिव, कुलपति मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
03. समस्त् संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक, इंचार्ज, ल0वि0वि0।
04. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
05. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
06. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।
07. मुख्य अभिरक्षक, ल0वि0वि0।
08. उपकुलसचिव, ल0वि0वि0।
09. समस्त् सहायक कुलसचिव, ल0वि0वि0।
10. प्रो0 रूपेश कुमार समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा, योजना को इस आशय के साथ प्रेषित के सूचना संकलित करते हुये कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
11. इंचार्ज वेबसाइट को उपरोक्त शासन का पत्र संलग्न करते इस आशय से प्रेषित समस्त् को ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1915/सत्तर–3–2023–08(14)/2018

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0,
प्रयागराज।

2 **कुल सचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3 **विशेष कार्याधिकारी,**
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ: दिनॉक 17 जुलाई, 2023

विषय:–वर्ष 2023–24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1822/तीस–3–2023, दिनांक 03.07.2023 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा "उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की" दिनांक 09.10.2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक के साथ संलग्न उक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु दिनांक 17.07.2023 से 21.07.2023 तक प्रस्तावित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम कों सफल बनाने हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पंर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3– उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासनादेश संख्या–43/सत्तर–3–2023, दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु व्यापक दिशा–निर्देश दिये गये है, जो निम्नवत् है:–

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण

अभियान के अन्तर्गत यथासंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यो द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार–प्रसार

(1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।

(2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./ रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

3. सेमिनार/गोष्ठी

प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यो/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी।

6. सड़क सुरक्षा शपथ

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

4— अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमों एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका छात्र/छात्राओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये, इसकी अनुपालन आख्या दिनांक 02.08.2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग—3 के ई—मेल आई0डी0—hesection.3@gmail.com पर हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक—यथोक्त।</u>

भवदीय

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, मा0 मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2— निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3— अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
4— अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग उ०प्र० शासन।
5— प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उ०प्र० शासन।
6— निदेशक सूचना, उ०प्र० ।
7— परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
8— समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9— समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र० ।
10— अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त (प्रारूप) की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 06/07/2023

संख्या 598 /VIPPSHED/2023

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1822/तीस-3-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/ गाजियाबाद /प्रयागराज ।
5 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2023

विषय : वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा **'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद'** की दिनांक 09-10-2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि माह जनवरी, 2023 से मई, 2023 तक के सड़क दुर्घटना एवं मृतकों की संख्या में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम होने के स्थान पर सड़क दुर्घटना में 5.5 प्रतिशत तथा दुर्घटना में मृतकों की संख्या में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में सर्वाधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों की होती है।

3. मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुक्रम में जनमानस में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाये जाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त विभागों- परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थान पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया जाना नितांत आवश्यक है।

(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में **'सड़क सुरक्षा पखवाड़ा'** दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवनिष्ठ,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 03-07-2023 12:42:22
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
11. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0परिवहन निगम, लखनऊ।
13. निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव ।